संख्याः4–33/98–कूप(स्था0)
सहकारिता निदेशालय
हिमाचल प्रदेश

<u>"ज्ञापन"</u>

1. अधोहस्ताक्षरी, केन्द्रीय नागरिक सेवायें (वर्गीकरण,नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 14 के अधीन श्री प्रनीत कुमार, सेवादार के विरूद्ध जांच प्रस्तावित करते हैं । उनके जिन दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोप पर यह जांच प्रस्तावित की जा रही है, उसका सार संलग्न सारणी(अनुबन्ध–1) में है । प्रत्येक आरोप के समर्थन में पुरा विवरण संलग्न सारणी(अनुबन्ध–11) में दिया गया है । इन दस्तावेजों की सूची और उन साक्षियों की सूची जिसके आधार पर आरोप सिद्ध किये जाने प्रस्तावित हैं, भी संलग्न हैं ।

2. श्री प्रनीत कुमार, सेवादार को आदेश दिया जाता है कि वह इस ज्ञापन की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर अपने पक्ष में लिखित रुप से ब्यान दें और यह भी बतायें कि क्या वह मौखिक रुप से भी कुछ कहना चाहते हैं

3. श्री प्रनीत कुमार, सेवादार को आदेश दिये जाते हैं कि यदि वह अपना ब्यान निश्चित समय में नहीं देते या जांच अधिकारी के सम्मुख व्यक्तिगत रुप से प्रकट नहीं होते या केन्द्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 14 और इसी नियम के अर्न्तगत समय समय पर दिये गये आदेशों/ निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो जांच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उसके विरुद्ध एकतरफा जांच करें ।

4. श्री प्रनीत कुमार, सेवादार का ध्यान केन्द्रीय सिविल सेवायें (आचरण) नियम 1964 के नियम 20 की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन किसी भी सरकारी कर्मचारी को यह नहीं चाहिये कि वह सेवा सम्बन्धी अपने स्वार्थ हित के लिये अधिकारियों पर कोई राजनैतिक एवं बाहरी दवाब डालें या डालने की चेष्टा करें । यदि इस सम्बन्ध में उसके लिये कोई भी अभिवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति से आया तो यह समझा जायेगा कि श्री प्रनीत कुमार, सेवादार को इस अभिवेदन पत्र की जानकारी है और यह उनके कहने पर दिया गया है । इस अवस्था में केन्द्रीय नागरिक सेवायें (आचरण)नियम 1964 के नियम 20 की उल्लंघना करते हुये उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

कृपया पावती भेजें ।

पंजीयक सहकारी सभायें
हिमाचल प्रदेश

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार
कार्यालय सहायक पंजीयक
सहकारी सभायें चम्बा ।

पृष्ठांकन संख्या:4–33/98–कूप(स्था0) दिनांक 22-09-2016
प्रतिलिपि:–

1. अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी सभायें, धर्मशाला, जिला कांगडा को सुचनार्थ ।
2. सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, चम्बा को आवश्यक कार्यवाही हेतु। श्री प्रनीत कुमार, सेवादार को उक्त आरोप पत्र की प्रति वितरित करके रसीद इस निदेशालय को भेजें ।
3. कार्य सहायक, अनुशासनात्मक रिपोर्ट , स्थापना शाखा सहकारिता निदेशालय हिमाचल प्रदेश ।

कृ0/- पंजीयक सहकारी सभायें,
हिमाचल प्रदेश

(10)

अनुबन्ध–I

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के विरुद्ध लगाये गये आरोप का संक्षिप्त विवरण ।

आरोप संख्याःI

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा दिनांक 28–05–2016 को दोपहर के पश्चात् शराब के नशे की हालत में कार्यालय में आकर हुड़दंग मचाने लगा तथा अन्य कर्मचारियों को गाली गलौच करने लगा तथा डराने धमकाने लगा । इसके उपरान्त श्री प्रनीत कुमार ने दिनांक 30–05–2016 को प्रातः 10.00 बजे से पुनः यही प्रवृति दोहराई तथा दिनांक 31–05–2016 को जब उक्त कर्मचारी ने यही कृत दोहराया तो सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा ने पत्र संख्याः 647, दिनांक 31–05–2016 द्वारा पुलिस थाना चम्बा में रिपोर्ट दर्ज करवाई तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त कर्मचारी का क्षेत्रीय अस्पताल चम्बा में मैडीकल करवाया गया । मैडीकल रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि वह शराब के नशे में था । इस प्रकार यह कर्मचारी के दुराचरण को दर्शाता है जिसकी एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा नहीं की जा सकती है । ऐसा करके कर्मचारी ने केन्द्रीय नागरिक सेवायें आचरण नियम 1964 के नियम 3 (i) से (iii) की उल्लंघना की है ।

आरोप संख्याःII

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा दिनांक 2–7–2016 से लगातार स्वेच्छा से कार्यालय से अनुपस्थित है । इस प्रकार कर्मचारी अपनी डियुटी के प्रति लापरवाह तथा गैर जिम्मेवार है तथा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का आदी है । यह कर्मचारी के दुराचरण को दर्शाता है जिसकी एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा नहीं की जा सकती है । ऐसा करके कर्मचारी ने केन्द्रीय नागरिक सेवायें आचरण नियम 1964 के नियम 3 (i) से (iii) की उल्लंघना की है ।

पंजीयक सहकारी सभायें
हिमाचल प्रदेश

अनुबन्ध–II

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के विरुद्ध लगाये गये आरोप के समर्थन में दुराचार तथा दुर्व्यवहार का विस्तृत विवरण

आरोप संख्या:I

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार जिन्हें उनके अपने आवेदन पर पंजीयक सहकारी सभायें,हिमाचल प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या:4–107/74–कूप, दिनांक 03–03–2016 द्वारा सहायक पंजीयक,सहकारी सभायें धर्मशाला के कार्यालय से सहायक पंजीयक,सहकारी सभायें चम्बा के कार्यालय को स्थानान्तरित किया गया था तथा दिनांक 29–3–2016 को सहायक पंजीयक चम्बा के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी है, दिनांक 28–05–2016 को 2.00 बजे के बाद शराब के नशे की हालत में कार्यालय में आकर हुड़दंग मचाने लगा तथा अन्य कर्मचारियों के साथ गाली गलौच करने लगा तथा डराने धमकाने लगा । इसके उपरान्त श्री प्रनीत कुमार ने दिनांक 30–05–2016 को प्रातः 10.00 बजे पुनः यही प्रवृति दोहराई तो सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा ने उनके कार्यालय पत्र संख्याः सह0/स्था0/–638, दिनांक 30–5–2016 द्वारा उक्त कर्मचारी को कार्यालय में डियुटी के समय शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कारण दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बारे पत्र जारी किया । परन्तु दिनांक 31–05–2016 को जब उक्त कर्मचारी ने यही कृत दोहराया तो सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा ने पत्र संख्याः 647, दिनांक 31–05–2016 द्वारा पुलिस थाना चम्बा को पत्र लिखा कि उक्त कर्मचारी लगातार तीन दिनों से कार्यालय में शराब पीकर कार्यालय कार्य में बाधा डाल रहा है । पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त कर्मचारी का क्षेत्रीय अस्पताल चम्बा में मैडीकल करवाया गया । मैडीकल रिपोर्ट में यह सिद्व हुआ कि श्री प्रनीत कुमार ने डियुटी के दौरान शराब का सेवन कर रखा था । इस प्रकार यह कर्मचारी के दुराचरण को दर्शाता है जिसकी एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा नहीं की जा सकती है । ऐसा करके कर्मचारी ने केन्द्रीय नागरिक सेवायें आचरण नियम 1964 के नियम 3 (i) से (iii) की उल्लंघना की है ।

आरोप संख्या:II

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा दिनांक 2–7–2016 से लगातार स्वेच्छा से कार्यालय से अनुपस्थित है । सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः सह0/स्था0/–914, दिनांक 06–07–2016 द्वारा उक्त कर्मचारी को अपनी डियुटी पर उपस्थित होने बारे घर के पते पर पत्र जारी किया गया परन्तु उक्त कर्मचारी अपनी डियुटी

5

पद उपस्थित नहीं हुआ । उसके पश्चात् सहायक पंजीयक,सहकारी सभायें चम्बा के पत्र संख्याः सह0/स्था0/–970, दिनांक 19–07–2016 द्वारा उक्त कर्मचारी को कार्यालय से अनुपस्थित रहने बारे पुनः पत्र जारी किया गया परन्तु उक्त कर्मचारी न तो कार्यालय में उपस्थित हुआ और न ही उससे इस बारे कोई सूचना/पत्र प्राप्त नहीं हुआ । इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि कर्मचारी अपनी डियुटी के प्रति लापरवाह तथा गैर जिम्मेवार है तथा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का आदी है । यह कर्मचारी के दुराचरण को दर्शाता है जिसकी एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा नहीं की जा सकती है । ऐसा करके कर्मचारी ने केन्द्रीय नागरिक सेवायें आचरण नियम 1964 के नियम 3 (i) से (iii) की उल्लंघना की है ।

पंजीयक सहकारी सभायें
हिमाचल प्रदेश

अनुबन्ध–III

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में गवाहों की सूची ।

---

1. श्री टेक चन्द,जिला अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा ।
2. श्री धर्म राज,निरीक्षक सहकारी सभायें कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा ।
3. श्रीमती किरण कुमारी, निरीक्षक सहकारी सभायें कार्यालय सहायक पंजीयक,सहकारी सभायें चम्बा ।
4. श्री मदन लाल, लिपिक कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी सभायें चम्बा ।
5. श्रीमती राजकुमारी, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक,सहकारी सभायें चम्बा ।

पंजीयक सहकारी सभायें,
हिमाचल प्रदेश

अनुबन्ध–IV

श्री प्रनीत कुमार, सेवादार कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में दस्तावेजों की सूची ।

---

1. सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः सह0/स्था0/–638, दिनांक 30–5–2016 ।

2. सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः 647, दिनांक 31–05–2016 ।

3. इन्चार्ज थाना सदर चम्बा द्वारा द्वारा दिनांक 31–05–2016 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ।

4. सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः सह0/स्था0/–914, दिनांक 06–07–2016 ।

5. सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः सह0/स्था0/–970, दिनांक 19–07–2016 ।

पंजीयक सहकारी सभायें
हिमाचल प्रदेश